प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

डायरी नं.... 474
दिनांक... 30/3/15
फाइल सं.... ए.30

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बांदा।

लोक निर्माण अनुभाग-14 लखनऊ: दिनांक- 30 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 में जनपद-बांदा के अन्तर्गत 05 मार्गो का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के पत्रांक-917/सं0वि0आ0/ बु0वि0नि0-राज्यांश/2014-15, दिनांक 19.12.2014 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-बांदा में 05 मार्गों जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, का निर्माण कराये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कुल रू0 1168.33 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ अडसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि (जिसमें अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत, लेबर सेस 1 प्रतिशत एवं मूल्यहास निधि 1.5 प्रतिशत भी सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ मनरेगा अंश की धनराशि रू0 107.23 लाख को घटाते हुए लोक निर्माण विभाग का अंश रू0 1061.10 (रू0 दस करोड़ इकसठ लाख दस हजार मात्र) के सापेक्ष कुल रू0 184.92 लाख (रू0 एक करोड़ चौरासी लाख बान्वें हजार मात्र) की धनराशि बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजनाओं की कार्यदायी संस्था, नि0ख0-2 लो0नि0वि0, बांदा है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	परियोजना का नाम/जनपद-बांदा	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	मनरेगा अंश की धनराशि	लोक निर्माण विभाग का अंश	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	पचुल्ला से लुकतरा छेहरांव मार्ग के छूटे भाग का निर्माण।	2.00	130.87	19.07	111.80	19.006
2	रामपुर से तंगामऊ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.20	233.02	37.34	195.68	33.2656
3	सेमरी मजरा पचनेही चौराहा से जारी तालाब तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	4.50	312.02	50.82	261.20	44.404

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Copy AE(I)/JE(T)/Cashier/BC

ELECTROSTAT FAX NO. :05223012105 31 Mar. 2015 4:12AM P1

4	दगिया तिन्दवारी मार्ग के किमी0 05 में उसरा नाले में रपटे के स्थान पर 40 मी0 लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	0.30	275.81	0.00	275.81	46.8877
5	तिन्दवारी पपरेन्दा पैलानी जसपुरा मार्ग (एमडीआर-40) के किमी0 24 में ककनारे बाबा नाले पर कार्य सुधार एवं 2 गुणे 5 मी0 स्पान एवं 7.00 मी0 ऊँचाई आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	0.25	216.61	0.00	216.61	41.3567
कुल योग		10.25	1168.33	107.23	1061.10	184.92

2- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय संबंधित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

4- परियोजनाओ का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) स्वीकृत धनराशि में सम्मिलित सेन्टेज चार्जेज की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक-1054-सडक सेतु-800-अन्य-प्राप्तियां-01- प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में टी0ई0द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाक घर/पी0 एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी, स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्य जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य /मद में किया जायेगा । इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(8) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2015 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन,लखनऊ को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगें। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होगें एवं तद्नुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेगें।

6- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सेन्टेज कार्यांश (लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 मार्च 2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्त लेखाशीर्षक-1054-सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

7- मनरेगा अंश की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

8- लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

9- मूल्यह्रास निधि की 1.5 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा कराई जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत आयोजनागत-पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-223/2015/278 /23-14-15-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा ।
4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, बांदा ।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झांसी ।
7- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-2, लोक निर्माण विभाग, बांदा ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, इलाहाबाद।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।